भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3179
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत जमीनी निरीक्षण

†3179. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश भर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जमीनी निरीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के समन्वय से सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय नोडल टीमों का ब्यौरा और उनके निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्बाध सेवाओं के साथ व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में अब तक कोई कमी मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में अभी भी ऐसे कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत परिवारों की संख्या राज्य-वार कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने अभिचिह्नित जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं के जमीनी निरीक्षण के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) भी नियुक्त किए हैं। क्षेत्रीय दौरे और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(ख) और (ग) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाले जेजेएम की शुरुआत की।

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, 12.44 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.08.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.68 करोड़ (80.99%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इस प्रकार, लगभग 3.69 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने शेष हैं। शेष ग्रामीण परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है जिन्हें नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं।

राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इनका समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु *"नल जल मित्र"* कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत, राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के साथ तालमेल स्थापित करते हुए स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, अगस्त 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों के लिए शुरू किए गए जल शक्ति अभियान ने जनभागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2021 में, "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) को देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन - वेयर

इट फाल्स वेन इट फाल्स" विषय के साथ शुरू किया गया था। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। जेएसए: सीटीआर 2023 को "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ 04.03.2023 से 30.11.2023 तक पूरे देश में कार्यान्वित किया गया था। इसी प्रकार, 2024 में "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय और 2025 में जेएसए को जल संरक्षण के क्षेत्र में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए *"जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर"* विषय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संपूर्ण समाज और पूर्ण सरकार की अवधारणा का अनुपालन करते हुए, "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल को भी जेएसए: सीटीआर अभियान के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	15.08.2019 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		04.08.2025 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		शेष परिवार जिन्हें नल जल कनेक्शन दिए जाने है
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100	0
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.20	70.63	73.93	24.90
3.	अरुणाचल	2.29	0.23	9.97	2.29	100	0
4.	असम	72.24	1.11	1.54	58.97	81.63	13.27
5.	बिहार	167.55	3.16	1.90	160.36	95.71	7.19
6.	छत्तीसगढ़	50.00	3.20	6.40	40.61	81.26	9.39
7.	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100	0
8.	गोवा	2.64	1.99	75.44	2.64	100	0
9.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100	0
10.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100	0
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100	0
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.88	15.61	81.04	3.65
13.	झारखंड	62.54	3.45	5.52	34.43	55.05	28.1
14.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	86.84	85.72	14.46
15.	केरल	70.77	16.64	23.51	38.68	54.66	32.09
16.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.39	96.88	0.02
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.12	91.45	0.01
18.	मध्य प्रदेश	111.70	13.53	12.11	78.61	70.38	33.09
19.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	132.06	89.97	14.73
20.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.59	79.59	0.93
21.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.40	82.90	1.11

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	15.08.2019 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		04.08.2025 तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		शेष परिवार जिन्हें नल जल कनेक्शन दिए जाने है
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)
22.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100	0
23.	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.41	93.63	0.23
24.	ओडिशा	88.67	3.11	3.51	68.17	76.89	20.50
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100	0
26.	पंजाब	34.27	16.79	49.00	34.26	100	0
27.	राजस्थान	107.74	11.74	11.01	61.20	56.80	46.54
28.	सिक्किम	1.33	0.70	53.34	1.22	91.91	0.11
29.	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	111.66	89.14	13.60
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100	0
31.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.29	6.47	86.11	1.04
32.	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.96	241.31	90.31	25.91
33.	उत्तराखंड	14.49	1.30	8.96	14.15	97.64	0.34
34.	पश्चिम बंगाल	175.53	2.15	1.23	98.61	56.18	76.92
कुल		**1,936.44**	**323.62**	**16.80**	**1,568.33**	**80.99**	**368.10**

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। एचएच: परिवार

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****